न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
165/2020	11-09-2020	25/04/2022

उनवान

01. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

----:: वादी

बनाम

01. निहाल पुत्र श्री अमरसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम जगमलहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर
02. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
03. शाखा प्रबन्धक बी.ओ.बी. शाखा टपूकडा जिला अलवर

-----:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत ा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 0.15, 463 रकबा 0.67, 466 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम बूबकाहेडा तहसील ारा जिला अलवर में स्थित है। योगेश शर्मा को विवादित आराजी के संबंध में पूर्ण जानकारी है व वादी कम्पनी ओर से समस्त विधिक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। विवादित आराजी वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या ी संयुक्त कब्जे काश्त शामलात खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में वादी कम्पनी का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो रहा है। पर वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 मुताबिक अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है। र्ड में शामलात राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने हिस्से के अनुरूप मौके उक्त आराजी पर काबिज एवं दाखिल है। किन्तु आज तक लिखित रूप में पक्षकारान के मध्य कोई बंटवारा हुआ है और राजस्व रिकार्ड में शामलात में ही काबिज व दाखिल चले आ रहे है। हर इंच पर हर हिस्सेदार हिस्सा है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस आज तक कोई तकासमा नहीं है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का र प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। ादी संख्या 2 व 3 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया। द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील ने वाद को ीक डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

प्रकरण में दिनांक 04–01–2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार टपूकडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर वंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुर्रे तलव की गई।

चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2022/5032 दिनांक 04–04–2022 के द्वारा प्रकरण में कुर्रे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताविक कुर्रे रिपोर्ट फाईनल डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिक्री किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्वर 460 रकवा 0.15, 463 रकबा 0.67, 466 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम बूबकाहेडा तहसील टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्वर	रकवा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्रा0लि0 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली जर्ये डायरेक्टर चांदवीर सिंह पुत्र मदनसिंह जाट सा. 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार पूर्ण हिस्सा	460 466 किता 2	0.1500 0.5100 0.6600	दहरी सो. चाह सो.	0.75 6.07 6.82
02.	निहाल सिंह पुत्र अमरसिंह रायसिख सा. जगमल हेडी खातेदार हि0 पूर्ण	463	0.67	चाह सो.	6.07 0.95

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें। डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
165/2020	11-09-2020	

उनवान

01. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

-----:: वादी

बनाम

01. निहाल पुत्र श्री अमरसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम जगमलहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर
02. श्रीमान् तहसीलदार साहब, वहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
03. शाखा प्रबन्धक वी.ओ.वी. शाखा टपूकडा जिला अलवर

------:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: पर्चा डिक्री ::-

हाल आराजी खसरा नम्बर 460 रकवा 0.15, 463 रकबा 0.67, 466 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम बूबकाहेडा ...ल टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

...ं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्रा0लि0 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली जर्ये डायरेक्टर चांदवीर सिंह पुत्र मदनसिंह जाट सा. 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार पूर्ण हिस्सा	460 466 किता 2	0.1500 0.5100 0.6600	दहरी सो. चाह सो.	0.75 6.07 6.82
	निहाल सिंह पुत्र अमरसिंह रायसिख सा. जगमल हेडी खातेदार हि0 पूर्ण	463	0.67	चाह सो.	6.07 0.95

तकसीम शुद्बा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)